छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>प्रथम अपीलीय अधिकारी</u>

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 01/2008</u>

श्री इंदरचंद सोनी,
सामाजिक कार्यकर्ता,
जवाहर चौक, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 20 मई 2008)

अपीलार्थी श्री इंदरचंद सोनी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अनुसार जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर के आदेश दिनांक 20–06–2007 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 06–06–2007 के द्वारा आयोग के कुछ अधिकारियों के संबंध में जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी के द्वारा 11 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र के साथ पोस्टल आर्डर 10/–रुपये (दस रुपये) का भेजा। जन सूचना अधिकारी ने दिनांक 20–06–2007 को अपीलार्थी को सूचित किया किया छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किये गये नियमों के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नकद, चालान, मनीआर्डर अथवा नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प के माध्यम से ही लिये जाने के निर्देश हैं। अतः पोस्टल आर्डर वापिस किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि उसने दिनांक 23–06–2007 को 10/– रुपये मनीआर्डर भी किया, किन्तु उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अतः अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रस्तुत की।

3/ अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग को नोटिस जारी किया गया। उभय पक्षों की सुनवाई की गई। अपीलार्थी ने नियत तिथि दिनांक 29–04–2008 को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की, अतः आगामी तिथि दिनांक 07–05–2008 निर्धारित की गई। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये। प्रतिअपीलार्थी का तर्क यह है कि अपील निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, अतः विचार योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने निर्धारित समयावधि में अपील प्रस्तुत न करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बतलाया है। जन सूचना अधिकारी ने लिखित में अपने तर्क प्रस्तुत किये। प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने अपनी अपील दिनांक 04–04–2008 को सूचना आयोग कार्यालय में प्रस्तुत की। यदि अपीलार्थी का यह तर्क

भी मान लिया जावे कि उसने दिनांक 23–06–2007 को मनीआर्डर भेजा था, जो कि 27–06–2007 को आयोग में प्राप्त हुआ, तब भी सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि आवेदक को आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से 30 दिन में जानकारी प्राप्त न हो तो वह 30 दिन की अवधि के पश्चात् आगामी 30 दिन के अन्दर प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकता है। अपीलार्थी ने अनेक प्रकरणों में सूचना आयोग एवं विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारियों के समक्ष आवेदन किये हैं। अतः यह मान्य नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाये गये आवेदन शुल्क संबंधी नियमों की जानकारी नहीं है। आवेदक ने पूर्व में प्रथम अपील भी प्रकरणों में की है, अतः यह भी मान्य नहीं किया जा सकता कि उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों की जानकारी नहीं है। अतः अपीलार्थी को 27–08–2007 तक प्रथम अपील प्रस्तुत करने का समय था। अपीलार्थी ने प्रथम अपील 04–04–2008 को प्रस्तुत की, जो कि निर्धारित समयावधि से बाहर है तथा उसके लिये पर्याप्त कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। अतः अपीलार्थी की अपील समयावधि के बाहर प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है।

4/ चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा नियत तिथि को उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की गई थी तथा उसने दिनांक 07–05–2008 की सुनवाई तिथि रखे जाने का अनुरोध किया था। अतः अधिनियम की धारा–19(6) के अंतर्गत 45 दिन की अवधि निर्णय दिये जाने में वृद्धि की जाती है। चूँकि 45वाँ दिन शासकीय अवकाश था, अतः अवकाश उपरान्त आदेश पारित किया जा रहा है।

5/ यदि अपीलार्थी उक्त आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(एस. पी. त्रिवेदी)
सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग